**L. A. BILL No. XXI OF 2022.**

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PUBLIC UNIVERSITIES ACT, 2016.

**विधानसभा का विधेयक क्रमांक २१ सन् २०२२।**

**महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।**

**क्योंकि** राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

सन् २०१७ का महा. ६। सन् २०२२ का महा. अध्या क्र. ६।

**और क्योंकि** महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए, महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०२२, ३ अगस्त २०२२ को प्रख्यापित हुआ था ;

(शा.म.मु.) एचबी ८५९-१ (५०–८-२०२२)

**और क्योंकि** उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के तिहतरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

**१.** (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२२ कहलाए।

(२) यह ३ अगस्त २०२२ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् २०१७ का महा. ६ की धारा १०९ में संशोधन।

**२.** महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ की धारा १०९ की,— सन् २०१७ का महा. ६।

(एक) उप-धारा (३) के खण्ड (छ) के द्वितीय परंतुक की तालिका में, खण्ड (घ), (च) और (छ) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(घ) विश्वविद्यालय की सिफारिशों के ठिक पश्चात्तीं वर्ष के ३१ जनवरी को या के पूर्व। १७ अगस्त २०२२ को या के पूर्व।

(च) जिस वर्ष में अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, उस वर्ष के १ मई को या के पूर्व। २४ अगस्त २०२२ को या के पूर्व।

(छ) जिस वर्ष में ऐसा नया महाविद्यालय या संस्था शुरू करना प्रस्तावित किया गया है उस वर्ष के १५ जून को या के पूर्व। १ सितम्बर २०२२ को या के पूर्व।";

(दो) उप-धारा (४) के द्वितीय परंतुक की तालिका में, खण्ड (घ) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(घ) जिस वर्ष में राज्य सरकार द्वारा अनुमति दी है, उस वर्ष के १५ जून को या के पूर्व। १७ अगस्त २०२२ को या के पूर्व।"

सन् २०२२ का महा. अध्या. क्रमांक ६ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

**३.** (१) महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०२२ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०२२ का महा. अध्या. क्रमांक ६।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी के उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत ) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

**उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।**

महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ (सन् २०१७ का महा. ६) की धारा १०९, नए महाविद्यालय या नए पाठ्यक्रम, विषय, संकाय, डिवीजन या उपग्रह केंद्र शुरू करने के लिए अनुमति देने की प्रक्रिया का उपबंध करती है।

उक्त धारा १०९ की, उप-धारा (३) उच्चतर अध्ययन के नए महाविद्यालय या संस्था शुरू करने के लिए आशय पत्र देने के लिए आवेदन करने, सरकार द्वारा आशय पत्र देने, संवीक्षा के पश्चात्, विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार को अनुपालन रिपोर्ट अग्रेषित करने और नए महाविद्यालय या संस्था शुरू करने के लिए अंतिम अनुमोदन देने की समय सीमा के लिए उपबंध करती है।

उक्त धारा १०९ की, उप-धारा (४) नए पाठ्यक्रम, विषय, संकाय, डिवीजन या उपग्रह केंद्र शुरू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमति देने के लिए समय सीमा का उपबंध करती है।

२. औरंगाबाद प्रदेश में कई संस्थाओं ने डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद की वार्षिक योजना २०२२-२३ में कई स्थानों पर आपत्ति जताते हुए, मुंबई उच्च न्यायालय के औरंगाबाद न्यायपीठ में रिट याचिका दाखिल की है। उच्च न्यायालय ने नए महाविद्यालयों को शुरू करने के लिए एक परिप्रेक्ष्य योजना से संबंधित डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय औरंगाबाद द्वारा जारी किये गये दिनांकित २५ अप्रैल २०२२ के विज्ञापन पर रोक लगाई है और अगली सुनवाई तक ऐसे मामलों में सरकार द्वारा आशय पत्र जारी करने पर भी रोक लगाई गई है।

उक्त रोक आदेश को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने उक्त विश्वविद्यालय के अधीन नए महाविद्यालयों को शुरू करने के लिए संस्थाओं को आशय पत्र नहीं दिया गया है।

इसके अलावा, कतिपय संस्थाओं ने जिनका दावा यह है कि उनके प्रस्ताव आवश्यकताओं को पुरा करते है, उनके प्रस्तावों को विचार-विमर्श लेने के लिए सरकार को अभ्यावेदन किये गये हैं। तथापि, सरकार इसके लिए उक्त धारा १०९ में विनिर्दिष्ट समय सीमा के अवसित होने के कारण ऐसे प्रस्तावों पर विचार-विमर्श नहीं कर सकी।

३. इसलिए, उक्त धारा १०९ में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझा गया है, ताकि अकादमिक वर्ष २०२२-२०२३ में नए महाविद्यालय और नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आशय पत्र देने तथा पश्चात्वर्ती अनुमोदनों के लिए समय सीमा विस्तारित की जा सके।

४. चूँकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०२२ (सन् २०२२ का महा. अध्या. क्र. ६), ३ अगस्त २०२२ को प्रख्यापित हुआ था।

५. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है।

मुंबई,
दिनांकित १२ अगस्त २०२२।

**एकनाथ संभाजी शिंदे,**
मुख्यमंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),
**विजया ल. डोनीकर,**
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

**विधान भवन**
मुंबई,
दिनांकित १६ अगस्त, २०२२।

**राजेन्द्र भागवत,**
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई.